


**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**॥ अ धि सू च ना ॥**

पटना-15, दिनांक : 09 अप्रैल, 2018

संख्या: 1/सी0-1009/2018-सा0 प्र0-4713/ओ0ए0 संख्या-050/00541/2015 में माननीय कैंट, पटना पीठ, पटना द्वारा दिनांक-16.03.2018 को पारित आदेश के आलोक में श्री के0 सेंथिल कुमार, भा0प्र0से0(बी एच :96)- जो दिनांक 23.02.2010 से दिनांक 06.06.2011 तक केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, को श्री एच0आर0 श्रीनिवास, भा0प्र0से0(बी एच : 96) को विशेष सचिव ग्रेड में प्रदत्त प्रोफॉर्मा प्रोन्नति की सापेक्षता में दिनांक 21.01.2010 के प्रभाव से अनुमान्य परिणामी लाभों के साथ विशेष सचिव ग्रेड में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
9.4.18  
(कन्हैया लाल साह)


सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 1/सी0-1009/2018-सा0 प्र0-4713/पटना-15, दिनांक : 09 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.) बिहार, पटना(श्री एच0आर0 श्रीनिवास से संबंधित संगत अधिसूचना दिनांक 18.03.2010 की छाया प्रति के साथ)/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/संबंधित विभाग/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/श्री के0 सेंथिल कुमार, भा0प्र0से0(बी एच : 96), विशेष सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत विकल्प का प्रयोग आवश्यकतानुसार कर सकते हैं:-

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

  
9.4.18  
सरकार के अवर सचिव